भारतसरकार

ग्रामीणविकासमंत्रालय

भूमिसंसाधनविभाग

लोक सभा

अतारांकितप्रश्नसं.1923

दिनांक 10 दिसंबर 2015 को उत्तरार्थ

एकीकृत पनधारा प्रबंधन कायक्रम

1923. श्री बी.एस. येदियुरप्पाः श्री सुरेश कोडिकुन्नीलः श्री दुष्यंत सिंहः डॉ० शशि थरूरः श्री तारिक अनवरः श्री रायपति सम्बासिवा रावः श्री कलिकेश एन. सिंह देवः श्री अश्विनी कुमार चौबेः श्री सदाशिव लोखंडेः श्री जनक रामः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्षेत्र विकास कायक्रम के क्या लक्ष्य और उद्देश्य ह;

(ख) एकीकृत पनधारा प्रबंधन कायक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतगत चलाए जा रहे प्रमुख कायकलापों का ब्यौरा क्या है और राज्यों के नाम क्या ह जहां वतमान म कायक्रम को कायान्वित किया जा रहा है;

(ग) इस कायक्रम के अंतगत कायान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वष के दौरान कायक्रम के अंतगत स्वीकृत/निगत और किए गए व्यय की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधियां कितनी ह; और

(ङ) सरकार द्वारा कायक्रम के प्रभावी कायान्वयन, विशेषतः क्षेत्रीय संतुलित विकास हेतु देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों म राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह?

उत्तर

ग्रामीणविकासमंत्री

(श्रीबीरेन्द्र सिंह)

(क): एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कायक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के मुख्य उद्देश्य अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वानस्पतिक क्षेत्र और भू-जल स्तर का उपयोग करना, संरक्षण करना और विकास करना; मृदा अपवाह को रोकथाम; वषा जल संचयन और भूमि जल स्तर का पुनभरण; फसलों की उत्पादकता बढ़ाना; बहुफसली और कृषि आधारितविविध क्रियाकलाप आरंभ करना; सतत आजीविका संवधन और परिवारों की आय बढ़ाना है। आईडब्ल्यूएमपी को 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक म मिला दिया गया है।

(ख):प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) के अंतगत किए जाने वाले प्रमुख कायकलापों म अन्य के साथ-साथ, रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वषा जल संचयन, पौधशाला पालन, पौध रोपण, बागवानी, चरागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका शामिल है। इस समय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) का कायान्वयन गोवा को छोड़कर सभी राज्यों म किया गया है।

(ग) और (घ): वाटरशेड विकास परियोजना-2008 (संशोधित संस्करण-2011) संबंधी सामान्य दिशा-निदर्शों के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) की परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 4 से 7 वष है। ये परियोजनाएं कायान्वयन के विभिन्न चरणों म ह। पिछले 3 वर्षों और चालू वष के दौरान इस कायक्रम के अंतगत परियोजनाओं की स्वीकृति, जारी निधियों और किए गए व्यय का राज/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

(ङ): विभाग ने क्षेत्रीय संतुलित विकास हेतुविशेषकर देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों म कायक्रम के प्रभावी कायान्वयन के लिए कई उपाय किए ह। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) के अंतगत परियोजनाओं का चयन गरीबी सूचकांक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत, लघु और सीमान्त किसानों के प्रतिशत तथा वास्तविक मजदूरी आदि के आधार पर किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल बजट का 10% निर्धारित करने का भी प्रावधान है। कायक्रम के कायान्वयन के लिए राज्य, जिला और परियोजना स्तरों पर एजेंसियों/संस्थागत ढांचों का गठन किया गया है। विभाग ने, अन्य के साथ-साथ कायक्रम के प्रभावी कायान्वयन के लिए कई कदम उठाए ह, जैसे ग्राम वाटरशेड समिति, जो कायक्रम कायान्वित करती है, का गठन करके जन-भागीदारी पर जोर देना; समर्पित कायान्वयन ढांचा; तृतीय पक्ष समवर्ती निगरानी एवं मूल्यांकन समितियां; भुवन आईडब्ल्यूएमपी पोटल; दृष्टि मोबाइल एप्प; क्षेत्रों का दौरा तथा नियमित समीक्षा बैठक आदि।

******

अनुबंध

"एकीकृत पनधारा प्रबंधन कायक्रम""के संबंध म लोक सभा म श्री बी.एस. येदियुरप्पा, श्री सुरेश कोडिकुन्नील, श्री दुष्यंत सिंह, डॉ॰ शशि थरूर, श्री तारिक अनवर, श्री रायपाति सम्बासिवा राव, श्री कलिकेश एन. सिंह देव, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री सदाशिव लोखंडे और श्री जनक राम द्वारा दिनांक 10.12.2015 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1923 के भाग (घ) के उत्तर म उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई (वाटरशेड विकास) के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, जारी/उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड रुपयं म)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			जारी निधियां (केन्द्र का हिस्सा)				* उपयोग की गई निधियां (राज्य के हिस्से और ब्याज सहित)			
		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16**
1.	आंध्र प्रदेश@	56	56	59	125.137	183.25	163.28	86.73	232.43	340.27	203.96	81.57
2.	बिहार	24	26	33	12.18	15.42	21.47	5.00	4.41	19.92	15.39	14.43
3.	छत्तीसगढ़	27	29	26	0	26.00	10.00	20.00	38.04	48.68	49.08	14.58
4.	गुजरात	59	60	61	329.24	60.00	72.34	100.00	154.24	368.63	268.19	60.62
5.	हरियाणा	13	15	13	5.23	14.20	26.97		8.87	14.18	8.82	13.14
6.	हिमाचल प्रदेश	21	15	17	8.02	46.07	0	20.00	39.55	63.23	59.38	18.04
7.	जम्मू व कश्मीर	43	46	29	38.27	0	51.43		1.86	26.12	26.09	16.68
8.	झारखंड	30	27	27	48.17	29.40	0	20.00	20.76	40.60	33.31	31.38
9.	कनाटक	68	63	78	334.55	586.11	125.43	125.00	450.51	509.28	299.59	57.20
10.	केरल	20	10	12	4.81	0	15.16	20.00	3.61	15.77	44.04	18.53
11.	मध्य प्रदेश	37	73	81	128.30	135.57	303.98	150.00	160.16	291.36	286.81	134.21
12.	महाराष्ट्र	120	116	122	501.60	180.35	197.91	250.00	362.60	627.41	542.28	177.09
13.	ओडिशा	39	38	38	89.70	136.91	248.79	67.50	88.12	164.29	301.51	95.80
14.	पंजाब	12	14	8	14.89	15.44	0	7.953	4.43	10.29	18.50	5.47
15.	राजस्थान	145	135	141	424.53	0	403.07	200.00	217.85	509.57	949.03	123.73
16.	तमिलनाडु	32	39	31	227.77	168.56	124.02	75.00	146.14	231.06	204.99	35.88
17.	तेलंगाना	46	41	50	-	-	124.58	70.00	-	-	105.21	57.71
18.	उत्तर प्रदेश	64	67	58	128.43	88.09	75.39	75.00	103.56	256.30	86.11	89.96
19.	उत्तराखंड	8	0	0	4.22	0	49.77	25.677	5.85	9.89	37.79	9.35
20.	पश्चिम बंगाल	42	44	0	40.31	0	25.85	10.00	0.93	23.87	33.21	19.29
	पूर्वोत्तर राज्य											
21.	अरुणाचल प्रदेश	28	26	16	15.97	110.83	0	18.00	36.91	118.25	44.00	6.69
22.	असम	54	45	47	42.97	116.60	6.99		37.87	124.48	97.35	32.53
23.	मणिपुर	15	13	14	33.75	30.28	11.10	9.00	17.08	23.61	48.30	7.93
24.	मेघालय	12	11	12	37.43	28.06	37.16	18.00	11.64	60.09	35.47	8.05
25.	मिजोरम	15	14	11	16.44	69.18	75.81		18.98	72.35	27.60	44.40
26.	नागालड	17	20	13	76.42	74.67	95.09	27.00	82.10	87.74	96.76	0.97
27.	सिक्किम	2	0	4	8.17	0	0	6.30	1.75	4.22	4.61	0.71
28.	त्रिपुरा	17	8	9	24.01	47.81	19.04	13.50	28.26	52.42	38.75	12.10
कुल योग		**1066**	**1051**	**1010**	**2720.517**	**2162.80**	**2284.63**	**1419.66**	**2278.51**	**4113.88**	**3966.13**	**1188.04**

@ तेलंगाना राज्य के सृजन से पूव, केन्द्रीय सहायता पूववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई थी। तथापि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 2014-15 के लिए इन दोनों राज्यों के संबंध म राज्य-वार जारी निधियां दशाई गई ह। * वष विशेष के लिए प्रयुक्त निधियों म गत वष की परियोजनाओं का शेषभी शामिल है। **31.10.2015 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई निधियां